न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 10 सन 2020
अनवान :-

1. बिमला पुत्री पुर्ण पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति सुनार साकिन सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला गंगानगर
2. इन्द्रादेवी पुत्री पूर्ण पत्नी महेन्द्र कुमार जाति सुनार साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1. सीता पत्नी पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बाबुलाल पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
3. बेगराज पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4. देवकरण पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
5. भानीराम पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
6. कृष्ण पुत्र पूर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
7. गिरधारी पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
8. शांति पुत्री पूर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
9. पंजाब नेशनल बैक शाखा थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा टोपरिया तहसील नोहर।
11. उप पजियक नोहर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 16/6/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 284/261 की कुल 7.8430हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 8539/78430 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 7907/78430 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 6483/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 4902/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 4902/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 का 7901/78430 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 8539/78430 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 8539/78430 हिस्सा ,भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में पूर्ण वल्द जीवन के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 कुल 10 वारिस है पूर्ण पुत्र जीवन के फोत होने पर उसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 पूर्ण वल्द जीवन के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है पूर्ण वल्द जीवन के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने साजिसाना कार्यवाही की जाकर पूर्ण वल्द जीवन के देहान्त होने पर अपने नाम दर्ज करवा ली जिससे वादीयान के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है के स्थान पर वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को कई मर्तबा कहा की वादीयान के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज

: अधिकारी
नोहर

कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीयान का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज भूमि को वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी न्यायालय में हाजिर नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई पेरोकार राज ने जबाब प्रस्तुत किया शामिल मिसल किया गया वादीयान ने साक्ष्य मे शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही करने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 284/261 की कुल 7.8430हैक्‌ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 8539/78430 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 7907/78430 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 6483/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 4902/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 4902/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 का 7901/78430 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 8539/78430 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 8539/78430 हिस्सा ,भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में पूर्ण वल्द जीवन के नाम दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 कुल 10 वारिस है पूर्ण पुत्र जीवन के फोत होने पर उसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 पूर्ण वल्द जीवन के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है पूर्ण वल्द जीवन के देहान्त होने पर उसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वाद भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने साजिसाना कार्यवाही की जाकर पूर्ण वल्द जीवन के देहान्त होने पर अपने नाम दर्ज करवा ली जिससे वादीयान के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से दर्ज है के स्थान पर वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादीया को वाद डिक्री फरमावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने विरास्तन सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 284/261 की कुल 7.8430हैक्‌ भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 8539/78430 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 7907/78430 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 6483/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 4 का 4902/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 का 4902/39215 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 का 7901/78430 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 का 8539/78430 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 का 8539/78430 हिस्सा ,भूमि मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादीयान का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पिता पूर्ण वल्र जीवन के नाम से दर्ज थी वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के पिता पूर्ण वल्द जीवन का देहान्त हो गया है पूर्ण वल्द जीवन के जायज वारिसान वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है इसलिये वाद भूमि वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है इसी अनुसार भूमि वादीयान एवं प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने तथ्यो को छुपाकर वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने नाम दर्ज करवा ली है जो गलत है वादीयान पूर्ण वल्द जीवन के वारिसान वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अधिकारी
नोहर

वादीयान के द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण के अनुसार वाद भूमि पूर्व में पूर्ण वल्द जीवन के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने वादीयान जो पूर्ण वल्द जीवन की पुत्रीयान है तो छुपाकर अपने नाम दर्ज करवाई जानी प्रतीत होती है जो गलत है पूर्ण वल्द जीवन के वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार वादीयान पूर्ण वल्द जीवन की पुत्रीया है जो पूर्ण के नाम दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के समान अधिकार रखती है अर्थात पूर्ण वल्द जीवन के नाम दर्ज भूमि में पूर्ण के देहान्त होने पर विरास्तन से वादीयान एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

वादीयान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के अनुसार पूर्ण वल्द जीवन के देहान्त होने पर विरास्तन से पूर्ण वल्द जीवन के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से वादीयान एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम अपने हक हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे अर्थात वादीयान का वाद काबिल डिक्री है ।

अतः वादीयान के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादीयान साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 290 / 261 की कुल 7.8430हैक भूमि में वादीयागण बहिब 1.568हैक , प्रतिवादी संख्या 1 का 0.6579, प्रतिवादी संख्या 2 का 0.5947हैक प्रतिवादी संख्या 3 का 1.1006हैक , प्रतिवादी संख्या 4 का 0.7844हैक प्रतिवादी संख्या 5 का 0.7844हैक प्रतिवादी संख्या 6 का 0.594हैक प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1.31575हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. बिमला पुत्री पुर्ण पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति सुनार साकिन सुरतगढ तहसील सुरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. इन्द्रादेवी पुत्री पूर्ण पत्नी महेन्द्र कुमार जाति सुनार साकिन रावतसर तहसील रावतसर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1. सीता पत्नी पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. बाबुलाल पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
3. बेगराज पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
4. देवकरण पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
5. भानीराम पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
6. कृष्ण पुत्र पूर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
7. गिरधारी पुत्र पुर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
8. शांति पुत्री पूर्ण जाति सुनार साकिन टोपरिया तहसील नोहर
9. पंजाब नेशनल बैक शाखा थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक शाखा टोपरिया तहसील नोहर।
11. उप पजियक नोहर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 14 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा टोपरिया बारानी के खाता संख्या 290/261 की कुल 7.8430हैक भूमि में वादीयागण बहिब 1.568हैक , प्रतिवादी संख्या 1 का 0.6579, प्रतिवादी संख्या 2 का 0.5947हैक प्रतिवादी संख्या 3 का 1.1006हैक , प्रतिवादी संख्या 4 का 0.7844हैक प्रतिवादी संख्या 5 का 0.7844हैक प्रतिवादी संख्या 6 का 0. 594हैक प्रतिवादी संख्या 7 ,8 बहिब 1.31575हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है शेष खातेदारों का हिस्सा यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर